

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ () एफसीए/मुवसजो/2022/
निमित्त,

8579

दिनांक 28-11-22

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषय : Diversion of 0.175 Ha Forest land for construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at near village Badi Seed Tehsil Baap Dist. Jodhpur Proposal No. FP/RJ/Trans/153699/2022

संदर्भ : राज्य सरकार का पत्रांक प1(133)वन/2022 दिनांक 4-11-2022 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 7000 दिनांक 24-11-2022


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों का प्रत्युत्तर/अनुपालना उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र से प्रेषित की है, अनुपालना से यह कार्यालय सहमत है, बिन्दुवार अनुपालना निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र स	आक्षेप	अनुपालना
1	वनभूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम 1980 एवं नियम 2003 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अध्याय 2.8 (III) (ई) में यह उल्लेखित है कि सीए स्कीम अन्तर्गत वृक्षारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर योजना प्रस्तावित की जावेगी। जबकि प्रकरण में सीए हेतु एस्टीमेट में वृक्षारोपण उपरान्त 3 वर्ष का ही संधारण लिया गया है।	उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में 10 वर्ष संधारण समाहित कर संशोधित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर दिये गये है।
2	सीए स्कीम में वृक्षारोपण उपरान्त Casualty Replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित सीए स्कीम क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिये लागू मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं ?	उप वन संरक्षक, जोधपुर अनुसार सीए स्कीम में वृक्षारोपण उपरान्त Casualty Replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित सीए स्कीम क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिये लागू मॉडल के अनुरूप है।
3	सीए स्कीम सदर वनक्षेत्र में प्रस्तावित है जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है, स्पष्ट करावें।	उप वन संरक्षक, जोधपुर अनुसार सीए स्कीम सदर वनक्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र है। उप वन संरक्षक अनुसार नर्सरी परिसर में 100 पौधे लगाने से शहरी सौन्दर्यकरण के साथ-साथ रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा एवं उक्त रिक्त नर्सरी भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भी है। साथ ही सुरक्षा दीवार निर्मित होने से भी उपयुक्त है।

संलग्न - उक्तानुसार

भवदीय


(बेगाराम जाट)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

दिनांक

क्रमांक एफ () एफसीए/मुवसजो/2022/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
2. प्रयोक्ता अभिकरण, एबीसी सोलर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मेडता हाउस, पुलिस चौकी के सामने जालोरी गेट, जोधपुर

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

निमित्त:-संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषय:-Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL765/400/220 KV GSS atr near Village Badi Sird, Tehsil- Baap, District- Jodhpur (Rajasthan) Proposal No FP/RJ/TRANS/153699/2022, Area : 0.175 Hectare

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर पत्रांक प.1 (133) वन/2022 दिनांक 04.11.2022 एवं आन लाइन परिवेश पोर्टल आक्षेप दिनांक 11.11.2022 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आक्षेप के क्रम में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगे आनलाइन आक्षेप दिनांक 11.11.2022 की पालना पूर्ति कर पुनः परिवेश पोर्टल पर फार्म अ पार्ट-2 में ऑनलाइन अपलोड के साथ ही ऑफलाइन (हार्ड कॉपी) की 3-3 प्रति में अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है :-

Ser No	Type of Objection	प्रत्युत्तर
1.	वन भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1980 एवं नियम, 2003 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अध्याय 2.8 (111) (ई) में यह उल्लेखित है कि सी.ए. स्कीम अन्तर्गत वृक्षारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर योजना प्रस्तावित की जावेगी। जबकी प्रकरण में सी.ए. हेतु एस्टीमेट में वृक्षारोपण उपरांत 3 वर्ष का संधारण ही लिया गया है।	उच्च कार्यालय द्वारा पारित निदेशों की पालना कर क्षतिपूर्ति पौधारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर विस्तृत एस्टीमेट संलग्न कर दिया गया है।
2.	CA Scheme में वृक्षारोपण उपरांत casualty replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित CA Scheme क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिए लागू मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं।	CA Scheme में वृक्षारोपण उपरांत casualty replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित CA Scheme क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिए लागू मॉडल के अनुरूप ही है।

कृ.पू.उ.

FCA
Su
28/11

Ser No	Type of Objection	प्रत्युत्तर
3.	CA Scheme सदर वन क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है। स्पष्ट करावें।	CA Scheme सदर वन क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है। चूंकि उक्त नर्सरी परिसर में 100 पौधे लगाने हेतु शहरी सौन्दर्यकरण के वित्त स्थान को देखते हुए अनुरूप स्थल है। अतः 100 पौधों के लिए उक्त भूमि को सुरक्षा दीवार होने की वजह से उपयुक्त माना गया है।

अतः उक्त बिन्दुवार आक्षेपो की पूर्ति कर 3-3 प्रति आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय




(अजय उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप
3. Sanjay Purohit s/o Shri Nemraj Purohit, Merta House, Opposite Police Chowki, Jalori Gate, Jodhpur (Rajasthan) PIN-340 001


उप वन संरक्षक
जोधपुर